फर्द अहकाम

(नियम 15)

30.4.2026

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

बजरंग सिंह बनाम स्टेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 13 वर्ष 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
08.01.2026	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 20.01.2026 को पेश हो।	
20.1.26	वकुलाए कार्यकर्ता उपस्थित/PO माह [illegible] है। पत्रावली [illegible] दिनांक 25.3.2026 को पेश हो	
25/3/2026	वकुलाए कार्यकर्ता उपस्थित/PO माह [illegible] है। पत्रावली पूर्वाह्न [illegible] दिनांक 27/4/2026 को पेश हो	
27.4.26	वकुलाए कार्यकर्ता उपस्थित/PO माह [illegible] है। पत्रावली तहसीलदार [illegible] रिपोर्ट प्राप्त [illegible] दिनांक 30.4.2026 को पेश हो	
30.4.026	वकुलाए कार्यकर्ता उपस्थित। तहसीलदार के रिपोर्ट प्राप्त हुई। पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड आदि के आधार पर वाद की डिक्री किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से लिखा जाकर दाखिल फाईल किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तामिल तकमील जाता दाखिल दफ्तर हो।	